

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड-नैनीताल।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग,
रूद्रपुर (उधमसिंहनगर)

पत्रांक 1243/ग्रा0नि0वि0/04-ग्रा0/मा0मु0मं0घो0/2023-24

दिनांक 05-9-2023

विषय:- मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 के द्वारा स्वीकृत विधान सभा क्षेत्र लालकुंआ के अन्तर्गत केन्द्रीय तराई वन प्रभाग हल्दुचौड़ में एन0एच0-87 व रेल पटरी के मध्य क्रियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्रांक 2923/12-1 रूद्रपुर, दिनांक 01.05.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 के द्वारा स्वीकृत विधान सभा क्षेत्र लालकुंआ के अन्तर्गत केन्द्रीय तराई वन प्रभाग हल्दुचौड़ में एन0एच0-87 व रेल पटरी के मध्य क्रियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि में गैर वानिकी कार्य हेतु तैयार किये गये प्रस्ताव पर निम्नलिखित सात बिन्दुओं पर आपत्ति व्यक्त की गयी है।

उक्त के क्रम में अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रेषित की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण करते हुए अनुपालन आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

क्र0सं0	आपत्तियों का विवरण	निराकरण आख्या
01	प्रपत्र भाग-2 में हरियाली का घनत्व अंकित नहीं किया गया है।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा कार्यवाही की जानी है।
02	स्थल निरीक्षण आख्या (एस0आइ0आर0) के बिन्दु A व B पर सूचना अंकित नहीं की गयी है, और न ही प्रपत्र पर सूचना अंकित की गयी है।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा कार्यवाही की जानी है।
03	प्रस्तावित स्थल एन0एच0 एवं रेल पटरी के मध्य स्थित है, कृपया इस सम्बन्ध में एन0एच0 एवं रेलवे का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	एन0एच0 से प्राप्त निर्माण कार्य के सम्बन्ध में आई0आर0सी0 की गाइडलाईन एवं रेलवे से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न किये गये हैं।
04	प्रस्तावित प्रकरण एवं प्रस्ताव संख्या-155392/2022 से सम्बन्धित प्रस्ताव एक ही क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित है, जिसमें प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग-2 के बिन्दु X में एक प्रकरण में हाथी रिजर्व होने का उल्लेख किया गया है, किन्तु दूसरे प्रकरण में हाथी रिजर्व नहीं होने का उल्लेख किया गया है।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा कार्यवाही की जानी है।
05	प्रस्तावित स्थल हाथी रिजर्व होने की दशा में प्रस्ताव में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा कार्यवाही की जानी है।
06	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र-7 में सी0डी0 प्रेषित किये जाने का उल्लेख किया गया है, जो उपलब्ध नहीं करायी गयी है।	उक्त प्रस्ताव की 02 सी0डी0 संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
07	प्रस्ताव का मदवार विवरण प्रस्ताव में संलग्न करें।	परियोजना का मदवार विवरण प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार,
प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
(01)- जिलाधिकारी, नैनीताल

भवदीय
अधिशाली अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड-नैनीताल।

अधिशाली अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड-नैनीताल।



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

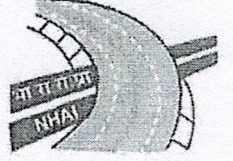
National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन ईकाई-रुद्रपुर तृतीय तल, श्री गुरु अंगद देव जी कॉम्प्लेक्स, रुद्रपुर, - 263153

Project Implementation Unit-Rudrapur, 3rd Floor, Shri Guru Angad Dev ji Complex, Rudrapur - 263153

दस्तावेज / Phone : 05944-351597 ई-मेल / E-mail: pbiurudrapur@nhai.org वेबसाइट / Website : www.nhai.org



No.: NHAI/PIU-RUPC/NH-74/NOC /2023/1589

Date 17.07.2023

✓ To,

**Executive Engineer,
Rural Works Department,
Block Nainital**

Sub: मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 के द्वारा स्वीकृत विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ के अन्तर्गत केन्द्रीय तराई वन प्रभाव हल्द्वौड़ में एन.एच.-87 व रेल पटरी के मध्य एक बीघा जमीन पर कियाशाला संस्कार स्थल निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बंध में।

Ref:- (i) Your letter no. 484/02-लेखा/ग्रा0नि0वि0/मा0मु0मं0घो0/2023-24, Dated 12.06.2023.
(ii) Your letter no. 754/02-लेखा/ग्रा0नि0वि0/मा0मु0मं0घो0/2023-24, Dated 13.07.2023.

Sir,

Please refer to your letter dt. 12.06.2023 & 13.07.2023 regarding construction of cremation ground at ch. 71+900 (RHS) (given coordinates) between NH-87 and Railway line. In this regard, it is to inform you that the building by laws of local civic body of concerned state are applicable beyond the ROW of National Highways. Therefore, NOC for aforesaid structure plan cannot be issued by NHAI.

However, as per IRC : 73-1980 the standards for building lines and control lines stipulated under para 6.1.5 need to be enforced for National Highways. A copy of the relevant extract is enclosed herewith as Annexure-I.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Signature)
17/07/2023

**(Vikas Mittal)
Project Director**

Copy to :- District Administration, Nainital: For kind information.

**(Vikas Mittal)
Project Director**

IRC : 73-1980

6.1.3. If a road is expected to be upgraded to a higher classification in the foreseeable future, the land width should correspond to the latter.

6.1.4. In order to prevent overcrowding and preserve sufficient space for future road improvement, it is advisable to lay down restrictions on building activity along the roads. Building activity should not be allowed within a prescribed distance from the road, which is defined by a hypothetical line set back from the road boundary and called the "Building Line". In addition, it will be desirable to exercise control on the nature of building activity for a further distance beyond the building line upto what are known as the "Control Lines". Building and control lines are illustrated in Fig. 1 with respect to the road centre line and road boundary.

6.1.5. Recommended standards for building and control lines are given in Table 4. For more details about measures for preventing

TABLE 4. RECOMMENDED STANDARDS FOR BUILDING LINES AND CONTROL LINES

Road classification	Plain and rolling terrain			Mountains and steep terrain		
	Open areas	Built-up areas	Distance between Building Line and road boundary (set-back) (metres)	Open areas	Built-up areas	Distance between Building Line and road boundary (set-back) (metres)
1	2	3	4	5	6	
1. National and State Highways	80	150	3-6	3-5	3-5	
2. Major District Roads	50	100	3-5	3-5	3-5	
3. Other District Roads	25/30*	35	3-5	3-5	3-5	
4. Village Roads	25	30	3-5	3-5	3-5	

Notes: 1. *If the land width is equal to the width between building lines indicated in this column, the building lines should be set-back 2.5 m from the road land boundary.
2. See Fig. 1 for position of building lines, control lines and set-back distance relative to the road centre line and road land boundary.

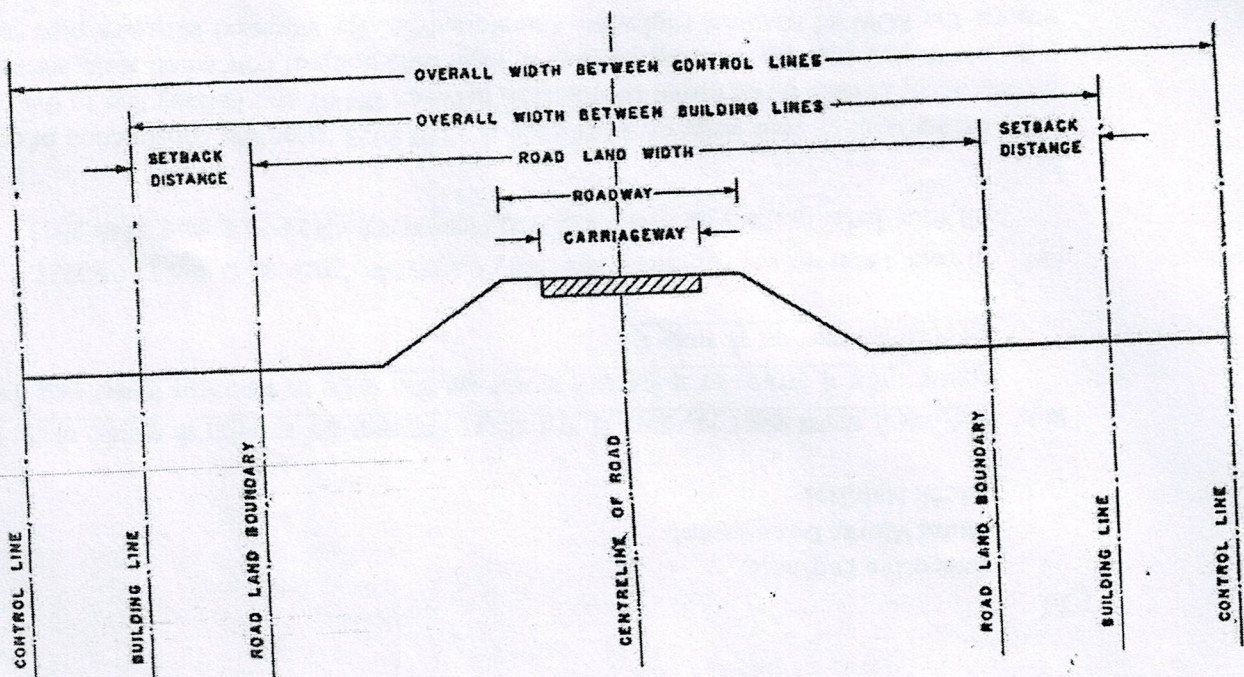


Fig. 1. Road land boundary, building lines and control lines



पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय,
मण्डल रेल प्रबन्धक/इंजी०
इज्जतनगर
दिनांक 25.08.2023

संख्या इ/214/विविध/अना० प्रमा०/इ-4

सहायक मण्डल इंजीनियर/काशीपुर।

विषय:-अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-सी.से.इंजी./कार्य/काठगोदाम का पत्र दिनांक 17.08.2023

आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 17.08.2023 के परिपेक्ष्य में अवगत कराना है, कि अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण विभाग प्रखण्ड नैनीताल उ०ख० द्वारा लालकुआँ के अन्तर्गत केन्द्रीय तराई वन प्रभाग के अन्तर्गत वन भूमि हल्दुचौड़ में एन०एच०-87 व रेल पटरी के मध्य एक बीघा जमीन पर क्रियाशाला संस्कार स्थल निर्माण कार्य किये जाने हेतु स्थल का सी.से.इंजी०/कार्य/काठगोदाम द्वारा छानवीन एवं निरीक्षण कर लिया गया है। प्रेषित मानचित्र में रेल भूमि सीमा से बाहर है का उल्लेख किया है।

अतः आपके द्वारा दी आख्या पर निम्न टिप्पणीयों सहित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

1. पार्टी स्थल पर निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व स्थल का मानचित्र सी० से० इंजी०/कार्य/काठगोदाम से सम्पर्क कर फाउन्डेशन ले आउट चेक करा ले।
2. रेलवे समपार सं० 47/बी-1 के पास NH साइड में स्थित है रेलवे भूमि से 80 फीट की दूरी पर है आपके लिए कोई मार्ग देय नहीं है।
3. पार्टी स्थल पर निर्माण कार्य रेल भूमि की सीमा से 3.00 मी० जमीन छोड़ कर निर्माण करायें।
4. भवन स्वामी द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण रेलवे भूमि पर नहीं किया जायेगा, तथा मानचित्र (नक्शे) का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। है।
5. उक्त भूमि के मध्य ओ०एच०ई० का अनुपालन किया जायेगा।
उपरोक्त का अनुपालन कड़ाई से किया जाये।

मण्डल इंजीनियर/प्रथम
इज्जतनगर

25.8.23

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सी०से० इंजीनियर/कार्य/काठगोदाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड-नैनीताल।

मण्डल इंजीनियर/प्रथम
इज्जतनगर

25.8.23

GOVERNMENT OF UTTRAKHAND



उत्तराखण्ड शासन

RURAL WORKS DEPARTMENT

DIVISION - NAINITAL

Year - 2021-2022

DETAILED ESTIMATE

माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 78 / 2021

कार्य का नाम- विधानसभा क्षेत्र लालकुआँ के हल्द्वौड के एन०एच०-87 व रेल पटरी के मध्य एक वीधा जमीन पर कियाशाला एवं बाउड्रीवाल का निर्माण कार्य।

Estimated Cost :- Rs. ^{31.45}~~31.52~~ Lacs.

Prepared By ---

S.No	NAME OF PERSON	DESIGNATION	SIGNATURE
1.	Er. Nand Kishore	Add. Assistant Engineer	
2.	Er. Mahendra Singh	Assistant Engineer	
3.	Er. B.P Tamta	J.E.(T)	
4.	Er. J.S Dhramsakktu	Executive Engineer	

प्रतिवेदन

प्रार्थ का नाम— विधानसभा क्षेत्र लालकुआँ के हल्द्वौड़ के एन0एच0-87 व रेल पटरी के मध्य एक वीधा जमीन पर कियाशाला एवं बाउड्रीवाल का निर्माण कार्य।

उक्त कार्य का विस्तृत प्राक्कलन अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 202/XX-3/2021/01(02)/2021 दिनांक 16.03.2021 एवं मुख्य अभियन्ता स्तर-1 ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय पत्राक 3003/ग्रा0नि0वि0/मुख्य मंत्री घो0/2020-21 दिनांक 17.03.2021 तथा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड नैनीताल द्वारा दिनांक 18.03.2021 दिये गये निर्देशों के परिपालन से तैयार किया गया है।

उक्त कार्य हेतु लगभग 01 वीधा जमीन में जिसकी लम्बाई चौड़ाई 31.50x20 mtr है। जो संयुक्त निरीक्षण के दौरान वन विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या में दर्शायी गयी है।

उक्त आगणन में 01 वीधा जमीन के चारों ओर आर0सी0सी0 कॉलम के साथ चहारदीवारी एवं गेट बनाने, कियाशाला परिसर के अन्दर 01 नग 9.00x3.60 mtr का आर0सी0सी0 कॉलम के साथ छत डालने के पश्चात उसके तीन तरफ 1.00 मी0 उँचाई की ईट चिनाई से दीवार लगाने एवं इसके आगे 01 9.00x3.00 mtr का एम0एस. टयूबलर के साथ प्रीकोटेड शीट से बरामदा बनाने का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त कियाशाला के समीप 01 शौचालय एवं 01 स्नानागार बनाने का प्राविधान किया गया है।

उक्त कियाशाला एवं चहारदीवारी का निर्माण आर0सी0सी0 बीम-कॉलम फ्रेम स्टेक्चर में निर्मित किया जायेगा साथ ही नीव में 1:4:8 पी0सी0सी0 के ऊपर 1:6 सीमेन्ट मसाले से ईट चिनाई का कार्य एवं समस्त आर0सी0सी0 कार्य कालम फुटिंग, प्लिथ बीम, लिंटल बीम एवं स्लेब 1:1.5:3 सीमेन्ट कंक्रीट से किये जायेंगे। कियाशाला के फर्श में 1:2:4 सीमेन्ट कंक्रीट से 40 एम0एम0 मोटा फर्श डालने का प्राविधान किया गया है। शौचालयों में सेरेमिक टाइल, लगायी जायेंगी। भवन की आन्तरिक भाग में ओ0बी0डी0 एवं बाह्य दीवारों पर एकेलिक वेदर कोट तथा आन्तरिक एवं बाह्य तरफ सीमेंट ब्लाइट सीमेंट पुट्टी का प्राविधान किया गया है, इसके अतिरिक्त आन्तरिक एवं बाह्य विद्युतीकरण तथा वाटर सप्लाई का प्राविधान भी प्रस्तुत प्राक्कलन में किया गया है।

प्राक्कलन में वनीकरण हेतु भूमि में 10 वर्षों तक वृक्षारोपण एवं रख-रखाव हेतु तथा एन0पी0वी0 हेतु वर्तमान दरों से धनराशि का प्राविधान प्रस्तुत प्राक्कलन में सम्मिलित किया गया है।

प्रस्तुत प्राक्कलन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2018 की दरों के आधार पर गठित कर रु0 31.52 लाख की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

अपर सहायक अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
विकासखण्ड-हल्द्वानी।

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
उपखण्ड-हल्द्वानी।

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
प्रखण्ड-नैनीताल।

कार्गोलग मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
तापोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।

PH. No. 2781556, 2780290

PH No. 2780290

Website- www.res.uk.gov.in

पत्रांक 2003 / प्रागिणिको/मुख्य मंत्री घोषणा/2020-21

दिनांक 1-1 मार्च-2021

//अतिआवरणक/ई-मेल द्वारा//

अधीशारी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड नैनीताल।

विषय :- मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 26.2.2021 को जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ में की गयी घोषणा संख्या-78/2021 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ने अपने संख्या- 202/XII-3/2021/01 (02)/2021 दिनांक 16.2.2021 के द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 26.2.2021 को जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ में की गयी घोषणा संख्या-78/2021 की क्रियान्वयन के सम्बन्ध में लिखा है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि आप संलग्न पत्र के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, निकट आकाश रिसोर्ट, स्थित (भीमताल), नैनीताल।

AECJ

10/3/21

Sri Manish An
PL 248 for
up estimate

10/3/21

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

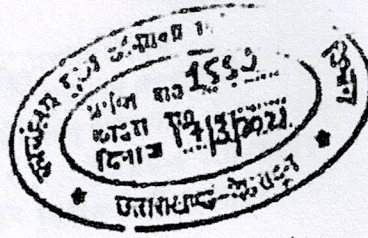
संख्या 202/XII-3/2021/01(02)/2021

प्रति,

श्री(जी) ओली
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

मुख्य अभियन्ता, स्तर-1,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



देहरादून, दिनांक 16 मार्च, 2021

ग्रामीण निर्माण अनुभाग

विरक- मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 28.02.2021 को जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआं में की गयी घोषणा संख्या 78/2021 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-4 (घोषणा अनुभाग), उत्तराखण्ड शासन को पत्र-संख्या-167/XXXV-4पो0/2021 दिनांक 08 मार्च, 2021 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआं हेतु निम्न घोषणा की गयी है:-

क्र०सं०	घोषणा संख्या	घोषणा का विवरण
1.	78/2021 ग्रामीण निर्माण विभाग	विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत केन्द्रीय तराई वन प्रभाग का गौजाजाली में आंशिक चौकी गेट-मुस्कान केन्द्र के बगल में तथा हल्द्वीड में एन0एच0-87 व रेल पटरी के मध्य एक बीघा जमीन पर निवासाला संरक्षित स्थल का निर्माण किया जायेगा।

2. कृपया उक्त घोषणा के क्रियान्वयन हेतु तत्काल विभागीय मानकों के अनुरूप एवं सुसंगत शासनादेशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए विभागीय सुस्पष्ट आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्नक- न्यायिक।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
(जी०बी० ओली)
अपर सचिव।

संख्या- (1)/XII-3/2021/01(02)/2021, तददिनांकित।

प्रतिलिपि- संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-4 (घोषणा अनुभाग), उत्तराखण्ड शासन को उनके उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से
(हस्ताक्षर)
(राजीव तिवारी)
अनु सचिव।

BILL OF QUANTITY (104-100)

कार्य का नाम:-विधानसभा क्षेत्र लालकुओं के हल्द्वौड के एन0एच0-87 व रेल पटरी के मध्य एक वीधा जमीन पर कियाशाला एवं बाउंड्रीवाल का निर्माण कार्य।

S. N.	Description	DSR 2018	Qty.	Unit	Rate	Index+ 4%	Net rate	Amount
1	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic Excavat in foundation trenches or drains (not exceeding 1.5 m in width or 1 including dressing of sides and ramming of bottoms, lift upto 1.5 out the excavated soil and disposal of surplus excavated soil as dir of 50 m.	2.8.1	116.36	Cum.	252.30	10.09	262.39	30531.70
2	Providing and laying in position cement concrete of specified grade cost of centring and shuttering - All work upto plinth level 1:4:8 C/S 40mm Stone Ballast.	4.1.8	14.56	Cum.	5789.60	231.58	6021.18	87668.39
3	Providing and laying in position specified grade of reinforced ceme upto plinth level 1:1.5:3 (1cement:1.5coarse sand:3 graded stone aggregate 20mm nominal size).	5.1.2	23.24	Cum.	7718.25	308.73	8026.98	186547.02
4	Brick work with F.P.S. bricks of class designation 75 in foundation and plinth in 1:6 C/S Mortar.	6.1.2	37.77	Cu.m.	6157.45	246.30	6403.75	241869.64
5	Excavating, supplying and filling of local earth (including royalty)by mechanical transport upto a lead of 5km also includingramming and watering of the earth in layers not exceeding 20 cm in trenches, plinth, sides of foundation etc. complete Add beyond 5km upto 10 per km = 5*15.20=76.10	2.25.a	30.39	Cum.	399.90	16.00	415.90	12639.20
6	providing and laying in position specified grade of reinforced1:1.5:3 (1 cement:1.5 coarse sand:3 graded stone aggregate 20 mm nominal size) upto floor five level	5.2.2	6.10	Cum.	9306.00	372.24	9678.24	59037.26
7	Reinforced cement concrete work in beams; suspended floors, roofshaving slope up to 15° landings, balconies, shelves, chajjas, lintels,bands, plain window sills, staircases and spiral stair cases above plinth level up to floor five level, excluding the cost of centering, shuttering,finishing and reinforcement, with 1:1.5:3 (1 cement : 1.5 coarse sand (zone-III) : 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size).	5.3	7.65	Cum.	9763.80	390.55	10154.35	77680.78
8	Reinforcement for R.C.C.work including straightening,cutting,bending,placing in position and binding all complete.Thermo Mechanically Treated Bars.	5.22.6	50.82	Qtl.	8350.00	334.00	8684.00	441320.00 441277.57
9	Centring and shuttering including strutting, ropping etc. and removal of form for foundation,footings,bases of columns etc.	5.9.1	81.68	sqm.	284.85	11.39	296.24	24196.88
10	Centring and shuttering including strutting, ropping etc. and removal of form for Suspended floors,roofs,landings, balconies and access platform	5.9.3	52.93	sqm.	693.05	27.72	720.77	38150.36
11	Centring and shuttering including strutting, ropping etc. and removal of form for Lintels, beams, plinth beams, girders, bressumers and cantilevers.	5.9.5	110.82	sqm.	552.05	22.08	574.13	63625.09
12	Centring and shuttering including strutting, ropping etc. and removal of form for Columns, Pillars, Piers, Abutments, Posts and Struts.	5.9.6	126.36	sqm.	733.70	29.35	763.05	96419.00
13	Half brick masonry with F.P.S. bricks of class designation 75 in foundation and plinth in 1:4 C/S Mortar.	6.12.2	7.75	Sq.m	773.75	30.95	804.70	6236.43 6236.83
14	Brick work with F.P.S. bricks of class designation 75 in superstruct level upto floor V level in all shapes and sizes in 1:6 C/S Mortar.	6.4.2	42.77	Cu.m	7590.45	303.62	7894.07	337629.37
15	Structural steel work riveted,bolted or welded in built up se trusses and framed work,including cutting,holisting,fixing in and applying a priming coat of approved steel primer all complete.	10.2	4.40	Qtl.	10175.00	407.00	10582.00	46560.80

6	Providing and laying cement concrete in a plain window sills, fillets etc upto floor five level, excluding the cost shuttering and finishing 1:2:4 C/S & 20mm Stone ballast.	4.2.3	13.50	C.um	8554.50 ✓	342.18	8896.68 ✓	120105.18 ✓
7	15 mm cement plaster of mix 1:6 C/F sand.	13.2.2	290.57	Sq.m	292.85 ✓	11.71	304.56 ✓	88496.00 ✓
8	12 mm cement plaster of mix 1:6 C/F sand.	13.1.2	313.55	Sq.m	254.25 ✓	10.17	264.42 ✓	82908.89 ✓
9	Cement concrete flooring 1:2:4 (1 cement: 2 coarse sand : 4 grad finished with a floating coat of neat cement including cement slurry 40mm thick with 20mm nominal size stone aggregate.	11.3.1	89.67	sqm.	498.35 ✓	19.93	518.28 ✓	46474.17 ✓
20	S/F 35mm wide & 3.8 to 4.7mm thick glass strips in floor including cost of material Labour T&P complete.	11.13.1	98.64	Rmt.	75.15 ✓	3.01	78.16 ✓	2709.70 2709.47 ✓
21	Providing and fixing 1st quality ceramic glazed wall tiles conforming to IS: 15622 (thickness to be specified by the manufacturer), of approved make, in all colours, shades except burgundy, bottle green, black of any size as approved by Engineer-in-Charge, in skirting, risers of steps and dados, over 12 mm thick bed of cement mortar 1:3 (1 cement : 3 coarse sand) and jointing with grey cement slurry @ 3.3kg per sqm, including pointing in white cement mixed with pigment of matching shade complete.	11.3.1 11.3.6	19.35	Sq.m	1030.30 ✓	41.21	1071.51 ✓	20733.72 ✓
22	Providing and laying Ceramic glazed floor tiles 300x300 mm (thick to be specified by the manufacturer) of 1st quality conforming to IS: 15622 of approved make in all colours, shades, except White Grey, Fume Red Brown laid on 20mm thick bed of Cement Mortar (1 Cement: 4 Coarse sand) including pointing the joints with cement and matching pigments etc., complete.	11.37	4.43	Sq.m	926.90 ✓	37.08	963.98 ✓	4270.43 ✓
23	Distempering with oil bound washable distemper of approved brand and manufacture to give an even shade New work (two or more Coats) over & including priming coat with cement primer.	13.41.1	290.57	Sqm.	153.45 ✓	6.14	159.59 ✓	46372.07 ✓
24	Finishing walls with Acrylic Smooth exterior paint of required shade : 13.46.1 New work (Two or more coat applied @ 1.67 ltr/10 sqm over and including priming coat of exterior primer applied @ 2.20 kg/10 sqm).	13.46.1	313.55	Sqm.	164.70 ✓	6.59	171.29 ✓	53707.98 ✓
25	Providing and applying white cement based putty of average thickness 1 mm, of approved brand and manufacturer, over the plastered wall surface to prepare the surface even and smooth complete	13.80	604.12	Sqm.	115.15 ✓	4.61	119.76 ✓	72349.41 ✓
26	Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture of required colour to give an even shade Two or more coats on new work over an under coat of suitable shade with ordinary paint of approved brand and manufacture.	13.61.1 13.62.1	50.51	Sqm.	121.55 127.15 ✓	7.09 7.09	176.41 184.24 ✓	6384.91 9305.96 ✓
27	S/F of 110mm dia PVC Pipe all cost complete.	12.41.2	15.00	Rmt.	305.05 ✓	12.20	317.25 ✓	4788.75 ✓
28	S/F of 110mm dia PVC bend including all cost complete.	12.42.5	4	No.	129.85 ✓	5.19	135.04 ✓	540.18 ✓
29	Steel work in built up tubular (round, square or rectangular hollow tubes etc.) trusses etc., including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer, including welding and bolted with special shaped washers etc. complete. 10.16.1 Hot finished welded type tubes	10.16.1	489.47	KG	143.45 ✓	5.74	149.19 ✓	23024.03 23023.28 ✓

30	Providing and fixing pre-coated galvanised iron profile sheets (size, shape and pitch of corrugation as approved by Engineer-in-charge) 0.50 mm (+ 0.05 %) total coated thickness with zinc coating 120grams per sqm as per IS: 277, in 240 mpa steel grade, 5-7 microns epoxy primer on both side of the sheet and polyester top coat 15-18microns. Sheet should have protective guard film of 25 microns minimum to avoid scratches during transportation and should be supplied in single length upto 12 metre or as desired by Engineer-in-charge. The sheet shall be fixed using self drilling /self tapping screws of size (5.5x 55 mm) with EPDM seal, complete upto any pitch in horizontal/ vertical or curved surfaces, excluding the cost of purlins, rafters and trusses and including cutting to size and shape wherever required.	12.50	35.00	sqm.	627.55	25.10	652.65	22842.75
----	---	-------	-------	------	--------	-------	--------	----------

2403669.30

2403669.00

2403669.00

Summary of Cost

कार्य का नाम:-विधानसभा क्षेत्र लालकुआँ के हल्दूचौड के एन0एच0-87 व रेल पटरी के मध्य एक वीघा जमीन पर कियाशाला एवं बाउड्रीवाल का निर्माण कार्य।

S.N.	Sub Head		Amount
1	2	3	4
1	Total Cost of Work as per Bill of Quantity A	Rs.	2403669.00 ^{2403669.00}
2	External & Internal Electrification @42% B ^{C.P. per 10 Area 12.50%}	Rs.	288440.28 ^{3,00,000.00}
3	Add for Hand pump Including External water supply all cost complete.	Rs.	200000.00
4	10 वर्षों तक सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण एवं रख-रखाव हेतु वन विभाग द्वारा अनुमोदित धनराशि 1798649x0.063	Rs.	113314.89
5	भूमि हस्तान्तरण चार्जस हेतु वन विभाग द्वारा अनुमोदित (एन0पी0वी0) धनराशि 626000x0.063	Rs.	39438.00
	Total	Rs.	3053642.28 ^{3044862.17}
6	Contengency@4% A+B ^{37% C.L.S.}	Rs.	116076.84 ^{116076.84}
	Grand Total	Rs.	3152546.54 ^{3152546.54}
	J E (Tech.) R.W.D. Nainital.	Say Rs.	31.52 Lacs.

धनराशि के अन्तर्गत रख-रखाव प्रयोग के लिए निर्धारित राशि का उपयोग

Countersigned for Rs. 31,52,546.54
(Rs. Thirty One Lacs Fifty Two Thousand Five Hundred and Fifty Four)

Executive Engineer
Rural Works Department
Division-Nainital.

A.E.R.W.D.

A.A.E.R.W.D.

Checked For Rs. 31,52,546.54
(Rs. Thirty One Lacs Fifty Two Thousand Five Hundred and Fifty Four)

J.E. (Tech.)
R.W.D. Circle NTL

E.E. (Tech.)
Division-Nainital

S.E. (TAC)
R.W.D. Circle NTL

कार्य का नाम—विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ के अन्तर्गत हल्द्वचौड़ में एन0एच0 87
व रेल पटरी के मध्य एक बीघा जमीन में क्रियाशाला का निर्माण।

